मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 24/03/2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 24/03/2025 को प्रातः 10:30 बजे मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार चर्चा की गई:-

(1) **कृषि उपज मंडी समितियों को ई-मंडी बनाये जाने की समीक्षा:-**

प्रदेश की संपूर्ण कृषि उपज मडी समितियों में 01 अप्रैल 2025 से ई-मंडी प्रारंभ की जाना है। प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी प्रारंभ करने के संबंध में समस्त संभागों की समीक्षा की गई। मुख्यालय से ई-मंडी प्रभारी श्री चौबे द्वारा बताया गया कि अ एवं ब वर्ग की मंडियों में ई-मंडी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स वर्ग की दो मंडियां जिनमें जबलपुर की बरघाट एवं भोपाल की लटेरी में प्रक्रिया प्रारंभ शुरू नहीं हुई है। जबलपुर संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि बरघाट मंडी में पीओएस नहीं होने से मोबाइल एप से चालू करने के निर्देश दिए गए हैं, शीघ्र ही बरघाट मंडी में ई-मंडी की प्रक्रिया प्रारंभ करवा दी जावेगी। भोपाल संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि लटेरी मंडी की विगत कार्यदिवस को समीक्षा कर ई-मंडी प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, आज वस्तुस्थिति प्राप्त कर ली जावेगी। समीक्षा में पाया गया कि द वर्ग की 11 कृषि उपज मंडी समितियों बिछियां, बुढार, देवेन्द्रनगर, पलारी, बकस्वाहा, लखनादौन, लालबर्रा, भानपुरा, गोरखपुर, श्यामपुर, मोहगांव एवं खेरलांजी में ई-मंडी की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। समीक्षा में पाया गया कि जबलपुर

संभाग की अधिकतर मंडियों में ई-मंडी की प्रक्रिया प्रारंभ होने में विलंब हो रहा है अतएव जबलपुर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 1 सप्ताह में कमियों को पूर्ण कराते हुए ई-मंडी की प्रक्रिया प्रारंभ करावें। सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ई-मंडी प्रणाली लागू करने हेतु सतत समीक्षा की जाकर प्राथमिकता के साथ समस्त मंडियों में लागू कराया जावे।

सागर संभाग के आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि उपज मंडी समिति पन्ना में आवक नहीं है जबकि पन्ना की उपमंडी अमानगंज एवं गुन्नौर में आवक होती है। अतः पन्ना मंडी की आईडी से उपमंडी अमानगंज एवं गुन्नौर में ई-मंडी की प्रक्रिया प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए।

ई-मंडी लागू करने के संबंध में कई मंडियों द्वारा गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे स्वयं समीक्षा करें एवं ई-मंडी की प्रक्रिया की वास्तविकता से लगातार अवगत करावें।

(2) <u>लंबित विधानसभा आश्वासन:-</u>

समस्त संभागों के लंबित आश्वासनों की समीक्षा की गई। इंदौर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 04 लंबित आश्वासन 20 मार्च को मुख्यालय प्रेषित किये जा चुके हैं। उज्जैन संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि 05 विधानसभा आश्वासन हैं, जिन्हें 22 मार्च को मुख्यालय प्रेषित किया गया है। ग्वालियर संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि 03 प्रकरण थे, जो मुख्यालय भेजे गए हैं। रीवा संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि 03 प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किए गए हैं। सागर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बुंदेलखंड प्रोजेक्ट से संबंधित आश्वासन 21 मार्च को मुख्यालय प्रेषित किया गया है। भोपाल संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि लंबित 05 आश्वासनों में से 3 प्रकरण प्रेषित किए जा चुके हैं शेष 02 शीघ्र ही प्रेषित किए जा रहे हैं। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित आश्वासन अविलंब मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

विधानसभा आश्वासनों की समीक्षा में पाया गया कि मुख्यालय स्तर पर कुल 33 आश्वासन लंबित हैं। जिनमें 01 निर्माण शाखा, 01 वित्त शाखा, 25 नियमन शाखा एवं 06 सतर्कता शाखा के आश्वासन लंबित होना पाया गया जिन्हें 01 सप्ताह की समयावधि में पूर्ण

करने के निर्देश दिए गए। मुख्यालय की नियमन शाखा, शिकायत एवं कार्मिक शाखा को एक सप्ताह की समयावधि में लंबित आश्वासन पूर्ण कराकर अवलोकन कराने के निर्देश दिए गए।

(3) <u>आउटसोर्स से मानव संसाधनों का सेटअप:-</u>

प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में मानव संसाधनों की आवश्यकता का आंकलन करके प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जो वर्तमान तक अप्राप्त हैं। अतः समस्त संभागीय अधिकारी मंडी सचिव से चर्चा उपरांत मानव संसाधनों की आवश्यकता का औचित्यता सहित प्रस्ताव मुख्यालय अविलंब प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर से उक्त प्रकरण की नस्ती आज ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

(4) <u>मंडियों द्वारा स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय:-</u>

कई मंडियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करना पाया गया है। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने संभागों की स एवं द वर्ग की ऐसी 4-5 मंडियां जिनकी आवक-आय अधिक हो, के बजट प्रावधान में व्यय का परीक्षण कर 01 सप्ताह की समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान इस प्रकार किया जावे कि मंडी समितियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में कोई कठिनाई न हो।

(5) <u>बायोमेट्रिक से उपस्थिति एवं वेतन भुगतान:-</u>

प्रदेश के समस्त आंचलिक कार्यालयों एवं कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज करने एवं बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान की कार्यवाही करने के पूर्व में निर्देश दिए गए थे। समस्त संभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए।

(6) <u>मंडियों में आवक एवं आय की स्थिति:-</u>

प्रदेश के समस्त संभागों में आवक एवं आय की समीक्षा की गई। जिसमें उज्जैन संभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रोगेसिव आय में 21 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है जिसकी शीघ्र ही पूर्ति कर ली जावेगी। इंदौर संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रोगेसिव आवक 3 प्रतिशत कम हुई है, आवक बढ़ने से शीघ्र ही पूर्ति कर ली जावेगी। ग्वालियर संभाग

की आवक में 13.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सागर संभाग में प्रगामी आवक में 3.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आय में 15 प्रतिशत की कमी हुई है, जिसका मुख्य कारण समर्थन मूल्य की राशि रू 15 करोड़ बकाया होना बताया गया। जबलपुर संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि आवक 2.88 प्रतिशत बढ़ी है एवं आय में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है, जिसका कारण समर्थन मूल्य पर उपार्जन की राशि प्राप्त न होना बताया गया। भोपाल संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि आय में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है, जिसके मुख्य कारण उपार्जन से राशि रू 80 करोड़ बकाया एवं जिंसों का भाव कम होना बताया गया। रीवा संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि आय में 50 प्रतिशत की कमी आई है, जिसका कारण उपार्जन से राशि रू 140 करोड़ प्राप्त होना बकाया है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व 31 मार्च तक अधिक से अधिक वसूली की जाकर आय बढ़ाने के समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर सभी मंडी सचिवों को निर्देशित करें एवं शासकीय एजेंसियों से लगातार संपर्क करते हुए उपार्जन की राशि प्राप्त करें।

(7) नियमितिकरण एवं स्थाईकरण:-

मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका नियमितीकरण एवं स्थाईकरण नहीं हुआ है, ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं स्थाईकरण की प्रक्रिया नियमानुसार प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। (कार्यवाही-कार्मिक शाखा)

(8) अनुकंपा नियुक्ति:-

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की संभाग वार समीक्षा की गई। प्रदेश के समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के समस्त प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता से करें, कोई भी प्रकरण लंबित न रखें। प्रकरण निराकरण हेतु अविलंब मुख्यालय प्रेषित करें।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- मंडी बोर्ड तथा मंडी सिमतियों के अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है, तो उनके आरोप पत्र समय सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। ऐसे प्रकरणों

में अधिकतम 30 दिवस में आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ करें।

- समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिकारी/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली समय सीमा में भरकर मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भूमि आवंटन के प्रकरणों में राशि जमा कराने के उपरांत तत्काल नामांतरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब न करें।
- इंदौर संभाग अंतर्गत सनावद मंडी में किसानों के भुगतान एवं व्यापारी फर्म से वसूली के संबंध में कार्यवाही करने हेतु आंचलिक अधिकारी को निर्देशित किया गया।
- नरसिंहपुर जिले की सभी मंडियों में आने वाली गुड़ की उपज पर निर्धारित मंडी टैक्स वसूल करने हेतु संबंधित मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया।
- ग्वालियर संभाग में कृषकों के लंबित भुगतान को समय-सीमा में कराये जाने का निर्देश दिया गया। इस हेतु समस्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

समय-सीमा के प्रकरणों की प्रकरण वार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया एवं ऐसे प्रकरण जिनमें कार्यवाही पूर्ण हो गई है, ऐसे प्रकरणों को विलोपित करने हेतु नस्ती प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/मार्च/2025/ 2175 भोपाल, दिनांकः 26/03/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

2 अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

3 अधीक्षण यंत्री/संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।

4 उंप संचालक/कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

5 संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।

6 कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।

7 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल